



झारखण्ड सरकार,

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

एफ-49/50, सेक्टर-III धुर्वा, राँची-834004.

दूरभाष सं.-0651-2440226, 2440234, 2440235, फ़ैक्स-0651-2440226

ई-मेल-Jharkhand\_ssc@rediffmail.com

## कनीय अभियंता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 (प्रारम्भिक)

**कनीय अभियंता यांत्रिक (MECHANICAL ENGINEERING)**

**पद के अभ्यर्थियों के लिए  
आवश्यक सूचना (संशोधित)**

दिनांक 01.02.2015 को सम्पन्न कनीय अभियंता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014(प्रारम्भिक) यांत्रिकी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच विभिन्न चरणों में क्रमशः दिनांक-06.07.2015 से दिनांक-16.07.2015 तथा दिनांक-27.10.2015 से दिनांक-29.10.2015, तक की गयी थी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सम्यक जाँच के उपरान्त प्रमाण पत्रों में पाई गई त्रुटियों के लिए नोटिस/कारणपृच्छा जारी किया गया था। टंकण भूल को शुद्ध करते हुए संशोधित सूची पुनः प्रकाशित की जाती है।

I) निम्नांकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों द्वारा प्रासंगिक परीक्षा के लिए विज्ञापित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से भिन्न डिग्री का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। अतः निम्नांकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थी दिनांक-16.06.2016 तक कार्यालय अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आयोग कार्यालय को समर्पित करें कि क्यों नहीं उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाए :-

1340253,1940167, 4040540, 4440452. (कुल-04)

II) निम्नांकित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में अनुपस्थित रहे हैं। अतः निम्नांकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थी दिनांक-16.06.2016 तक कार्यालय अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आयोग कार्यालय को समर्पित करें कि क्यों नहीं उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाए :-

1540386,1940141,2240225,2840299,3240213,3340028, 4340121,4640488. (कुल-08)

III) निम्नांकित अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन में किए गए आरक्षण (पिछड़ावर्ग अनुसूची-2/अत्यन्त पिछड़ावर्ग अनुसूची-1) संबंधी दावे के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र यथा परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में नहीं दिया गया है। अतः निम्नांकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र दिनांक-16.06.2016 तक आयोग कार्यालय में समर्पित करें अन्यथा उनके आरक्षण के दावे को निरस्त करते हुए उन्हें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में मान्यता दी

जाएगी साथ ही अनारक्षित श्रेणी के अधिकतम उम्र (35 वर्ष) से अधिक होने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी :-

2540315, 2940241 (कुल-02)

**IV) निम्नांकित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच दिनांक- 16.06.2016 (10.30 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक) को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय एफ-49/50, सेक्टर-III धुर्वा, राँची-834004. में किया जायेगा।**

1440128,1440360,1540229, 1940374,2040173,2140354,2240240,2240394,2440023, 2440502,2640017,2740039,2740064,2740175,2840067,2840160,2940160,2940188, 3040249,3040510,3140034,3140572,3340028,3340262,3340325,3340411,3540066, 3540195,3540199,3640010, 3940405, 4240685,4241087,4340128, 4341211,4840020, 5040050,5040234 (कुल-38)

उपर्युक्त अभ्यर्थी जाँच हेतु निर्धारित तिथि (16.06.2016) को निम्न लिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक-एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त हो जायेगी। जाँच हेतु प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है-

- I. डिप्लोमा/डिग्री से संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- II. जन्म तिथि सत्यापन- मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- III. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए

(क) जाति प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में मूल प्रति)

(ख) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में मूल प्रति) जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिये) जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।

परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट के रूप में 'स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)' एवं 'जाति प्रमाण पत्र' का विहित प्रपत्र संलग्न है। उक्त प्रपत्र में ही संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाएँगे।

ह0/-  
परीक्षा नियंत्रक।

## परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के  
पत्रांक— 7/बि0बि0आ0-019-03/2002-4156 दिनांक—17 जुलाई, 2002 द्वारा निर्धारित  
प्रपत्र।

### प्रपत्र

कार्यालय का नाम :—

### स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)

संख्या :—.....

तिथि:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
...पिता/ पति श्री ..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर.....  
पो0 ....., थाना ....., जिला ..... के स्थानीय  
निवासी हैं और यह प्रमाण-पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार  
की अधिसूचना संख्या— 3389, दिनांक—22 दिसम्बर, 2001 के साथ संलग्न बिहार सरकार के श्रम  
एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या— 3/स्था0नि0 5014/81-806, दिनांक— 03 मार्च, 1982 में  
उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। यह प्रमाण पत्र मात्र नियोजन के संदर्भ में  
मान्य होगा।

स्थान :—

दिनांक :—

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले  
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

-----

## परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.  
-19-11/2008 का.-5682 दिनांक- 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र-I

(कार्यालय का नाम)  
जाति प्रमाण-पत्र  
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

...

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
...पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....  
.....डाकघर..... थाना ..... जिला ..... राज्य.....  
.. अनुसूचित जाति\*/अनुसूचित जनजाति\* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप  
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति\*/अनुसूचित जनजाति\* के  
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः  
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....  
....में निवास करते हैं।

स्थान :-  
हस्ताक्षर

सक्षम पदाधिकारी का

नाम .....

दिनांक :-

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- \* बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

-----

## परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—  
7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक— 29अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र।

### प्रपत्र—II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त  
पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री ..... ग्राम/शहर .....  
थाना ..... जिला ..... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली  
हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001\*,\*\* की धारा-2 के अन्तर्गत  
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा  
वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त ..... समुदाय से आते/आती  
हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा  
विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण  
विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.)  
दिनांक- 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में  
शामिल नहीं हैं।

स्थान :-  
हस्ताक्षर

सक्षम पदाधिकारी का

दिनांक :-

नाम .....  
पदनाम .....  
(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- \* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
- \*\* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।